भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3197
उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2025

वैश्विक इंटरनेट शटडाउन

3197. श्री सुखदेव भगतः

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या देश में 84 बार इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जो लोकतांत्रिक देशों में सर्वाधिक हैं, और वर्ष 2024 में अकेले मणिपुर में 21 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) क्या एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट (फरवरी 2024 में प्रकाशित) ने पुष्टि की है कि भारत में लगातार छठे वर्ष दर्ज इंटरनेट शटडाउन की घटना वैश्विक इंटरनेट शटडाउन का लगभग 60% हिस्सा थी और दिसंबर, 2024 में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के एक बयान में स्वीकार किया गया कि इन शटडाउन के आर्थिक या सामाजिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रभाव आकलन नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा सूचना तक पहुंच, आर्थिक गतिविधियों और डिजिटल अधिकारों के महत्वपूर्ण निहितार्थों को देखते हुए इंटरनेट शटडाउन के परिणामों का व्यापक मूल्यांकन न करने के क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार की भविष्य में मनमाने ढंग से इंटरनेट शटडाउन को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को कार्यान्वित करने की क्या योजना है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। तदनुसार राज्य सरकार/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए इंटरनेट निलंबन आदेशों से संबंधित ब्यौरा दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी

निलंबन के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा दी गई अनुमतियां एमएचए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ख), (ग) और (घ) दूरसंचार विभाग के पास ऐसी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। दूरसंचार विभाग ने देश में इंटरनेट शटडाउन के आर्थिक या सामाजिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कोई स्टडी नहीं की है।

नागरिकों के कल्याण के लिए इंटरनेट के योगदान और असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग के बीच संतुलन होना चाहिए जिसके लिए दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के अनुसार अस्थायी इंटरनेट शटडाउन की आवश्यकता हो सकती है। इन नियमों में केन्द्र और राज्य सरकार स्तर पर गठित पुनर्विलोकन समिति के माध्यम से निरीक्षण तंत्र का प्रावधान है।

*****